पत्रांक संख्या–4358 / सुविधा / ज्ञानदीप / 2023–24 दिनांक–13–10–2023

सेवा में,

श्रीमान, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय,
जनपद ...., (उत्तराखण्ड)

विषय – मेघावी विद्यार्थियों को एक मुश्त छात्रवृत्ति देने के संन्दर्भ में।

महोदय / महोदया,

संज्ञान में लाना चाहेंगे कि Society For the Upliftment of Villagers & Development of Himalayan Areas (**SUVIDHA**) एक गैर लाभकारी संस्था है जो विगत 19 वर्षों से उत्तराखण्ड सहित देश के विभिन्न राज्यों में जलवायु परिवर्तन ,जैविक कृषि ,शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, जैसे मुद्दों पर कार्य कर रही है।

महोदय इसी क्रम में आपको अवगत कराना है, कि संस्था द्वारा उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के CSR (Corporate Social Responsibility) के वित्तीय सहयोग से **"ज्ञानदीप"** परियोजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षत्रों के सरकारी विद्यायलयों में अध्ययनरत कृषक परिवारों के आर्थिक रूप से गरीब एवं एकल परिवारों के मेधावी छात्र छात्राओं को "जिनके द्वारा 10 वीं एवं 11 वीं कक्षा वर्ष 2023 में आयोजित परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की गयी है" उन विद्यार्थियों को एक मुश्त रू0 5,000.00 (पांच हजार) की छात्रवृत्ति दी जानी है, जिसमें 60 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं को एवं 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्रों को दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः महोदय, संस्था आपसे विनम्र निवेदन करती है कि अपने जनपद के सभी खण्ड कार्यालयों एवं सरकारी विद्यालयों के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों की सूचि उपलब्ध करा कर आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने में सहयोग करने की कृपा करेंगे।

सहयोग की अपेक्षा के साथ।

धन्यवाद।

भवदीय

SUVIDHA HALDWANI

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
सुविधा, हल्द्वानी

संलग्नकः–

आवश्यक शर्तें संलग्न।

<u>विद्यार्थियों का चयन निम्न शर्तों के आधार पर किया जायेगा।</u>

1. आवेदक द्वारा 10 वीं अथवा 11 वी कक्षा वर्ष 2023 में आयोजित परीक्षा में 75% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये गये हों।
2. केवल सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थि ही छात्रवृत्ति हेतु पात्र माने जायेगें।
3. 60% छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. आवेदन कर्ता उत्तराखण्ड का निवासी हो तथा कृषक परिवार से सम्बन्ध रखता हो।
5. आवेदन कर्ता वर्तमान में सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हों।
6. आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय सालाना एक लाख अथवा रू0 8333 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. छात्रवृत्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मात्र 100 प्रथम आवेदकों को जो उक्त न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हो देय होगी।

<u>आवश्यक दस्तावेज–</u>

- विद्यार्थीयों की मार्कशीट 10वीं एवं 11वीं (छायाप्रति) जो विद्यालय के प्रधानाचार्य से सत्यापित हो।
- आधारकार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित
- पासपोर्ट साईज फोटो 02
- खाता खतौनी की मूल प्रति (आवेदक के कृषक परिवार से होने के सम्बन्ध में ऑकलन हेतु)
- आय प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता के परिवार के मुखिया का होना चाहिए।
- बैंक खाते की सूचना, पासबुक अथवा रद्द चेक की प्रति।
- खाताधारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण।
- खाताधारक का आवेदन कर्ता से सम्बन्ध।
- यदि आवेदनकर्ता एकल परिवार से है तो अभिभावकों का स्वधोषणा पत्र (सपथ पत्र)
- सम्पर्क नम्बर

नोट– डाक पता लिफापे के ऊपर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र अवश्य अंकित करें।
आवेदकों को चाहिए कि वह निम्न आवश्यक दस्तावेज मेल, कोरियर अथवा डॉक के माध्यम से निम्न पते पर दिनांक 30 अक्टुबर 2023 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें, तय समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन करने हेतु पत्र व्यवहार का पता सम्पर्क नम्बर एवं मेल आई डी निम्नवत है।

सुविधा, नजदीकी एच0पी0 पैट्रोल पम्प, आर.टी.ओ. रोड, उदयलालपुर – पो0ऑ0 आनन्दपुर, हल्द्वानी, नैनीताल – उत्तराखण्ड–263139

Phone: 9761501472 (Office No.)
9568501053 (Dr. Prakash Singh)
7983010891(Ms. Geeta Joshi)
Email ; project@suvidha.org.in

SUVIDHA HALDWANI

धन्यवाद।